

दिनांक आज का कार्यवाही

10/1/24 फावली
ही बाबजूद
भारत न

कमल

के विरुद्ध
माई जाती है पत्रावली वास्तु बहल हेतु
दिनांक 12/1/24 को पेश की

Sumad
दिनांक 12/1/24
मौजूद है।

12/1/24

उपखण्ड अधिकारी
बस्सी जिला-जयपुर

15/1/24

पत्रावली पेश। कड़ी प्रार्थी उपर पत्रावली
पत्रावली का पत्र पत्र प्रार्थी अधिवक्ता की
बहल सुनी जाकर पत्रावली वास्तु
भोरेस दिनांक 24/1/24 को पेश
की

उपखण्ड अधिकारी
बस्सी जिला-जयपुर

24/1/24

पत्रावली पेश हुई। कड़ी प्रार्थी की
पूर्व में बहल 15 पत्र सुनी जा
सुनी है। प्रार्थी अधिवक्ता ने
सार्थना-पत्र को स्वीकार किये
जाने हेतु निवेदन किया। पत्रावली
पत्र इपलब्ध दस्तावेजों के अभाव में
प्रचार पाते हैं कि वादग्रस्त शक्ति प्रार्थी
/वारीपा के पक्ष एवं इन्ते भाई तथा
- लगातार -

फर्द अहकाम

न्यायालय:- उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, बस्सी

कालीदेवी - बसाव - रामनाथ

आज्ञा दिनांक	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	<p>अज्ञा के नाम दर्ज राजस्व रिपोर्ट है। प्रार्थी /वारीपा के पक्ष के कड़ी घील्या पत्र मौजूदा के नाथोनाद पत्र एवं पत्र घील्या की शक्ति में स्वयं को शारदात कागजात हिले अनुपात घोषित कवाने के लिए न्यायालय धजा में घोषणा के दावा पेश हेतु विचारधीन है।</p> <p>कड़ी वारीपा ने वादग्रस्त शक्ति के सम्बन्ध में प्रार्थी/वारीपा को लिये अर्थात् निवेदना से लक्ष्मणलाल के पक्षों लिये जाने का निवेदन किया। पत्रावली का भवकोक उले एवं बहल पत्र मनन परचल विद्वक्त विवेचन निम्नानुपात है:-</p> <p>① प्रथम दृष्ट्या प्रकरण:- पत्रावली पत्र इपलब्ध जमाबंदी के अनुपात वादग्रस्त धाराजी पत्र प्रार्थीपा का रिपोर्ट खालोका दर्ज नहीं है। अतः वादग्रस्त धाराजी के मौजे पत्र प्रार्थी का कबिला काशत हीना स्थल नसी होने से प्रथम दृष्ट्या प्रकरण प्रार्थीपा के हक में लिये नसी होता है।</p> <p style="text-align: center;">- लगातार -</p>	

प्रकरण संख्या

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
		<p>① सुविधा का संकुलन :- काफ़रस्त धाराजी के प्राचीन के परि स्तरजारेदर हैं लेकिन प्राचीन के परि के पूरज से हिलते से करके पर काबि काशर होना स्पष्ट नहीं होने से प्रथम दृष्टया प्रकाम प्राचीन के एक में छिद नहीं होरा एवं सुविधा का संकुलन भी प्राचीन के एक में छिद नहीं होरा है।</p> <p>② अपूर्वनीप धरि :- प्राचीन के एक में अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की जाती है तो प्राचीन को अपने एक दूकरो से वंचित होना नहीं परेगा तथा अपूर्वनीप धरि नहीं होगी</p> <p>उपरोक्त विवेचनाद्वारा के आधर पर प्राचीन का प्राचीन पत्र खारिज ठिये जाने घोष्य पाते है।</p> <p>अतः आदेश है कि:- प्राचीन का प्राचीन-पत्र अन्तर्गत धाय 212 राजस्थान काशरकारी अधिनियम के अन्तर्गत प्राचीन का प्राचीन पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा को अस्वीकार — लगाए —</p>

कल्लीदेवी बंगला रामनाथ
 92/25

क्रमांक या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	<p>क्रिया जाकर बडे गाम बूडयल, पखार हन्ना बूडयल, प्र.अ. सि. कानौर, तहसील - बस्सी, जिला जयपुर के धाराजी खतप नम्बर, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 412 के सम्बंध में प्राचीन काय चाध गया सडुवीष टिए जाना न्यायोचित प्ररित नहीं होरा है।</p> <p>अतः प्राचीन का प्राचीन पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा खारिज क्रिया जाकर है।</p> <p>यह निर्णय आज दिनांक 24/9/2025 को ... सुले ... न्यायालय में लुनाया गया</p>	

उपखण्ड अधिकारी
 बस्सी जिला-जयपुर